

| बिहार विधान सभा के लिए तारांकित प्रश्न | |
|---|---|
| श्री विनोद नारायण झा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.08.12 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-01 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- | श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना |
| प्रश्न | उत्तर |
| (1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल में वर्ष 2011-12 में बाढ़ से प्रभावित 2 लाख 10 हजार परिवारों को चिन्हित किया है; | आंशिक स्वीकारात्मक। जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा वर्ष 2011-12 के बाढ़ के कारण जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल में कुल 1,65,325 (एक लाख पैसठ हजार तीन सौ पचीस) परिवारों को बाढ़ प्रभावित के रूप में माना गया। |
| (2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी प्रभावित परिवारों को बाढ़ राहत के रूप में 225/-रु0 नगद एवं 01 क्विंटल अनाज देने का प्रावधान किया है; | वस्तुस्थिति यह है कि राज्य आपदा रिस्पॉंस कोष के मानदर के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात अति जरूरतमंद परिवारों, जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये हैं और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, को अनुग्रह अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आलोक में 250/- रु0 का नगद प्रति परिवार की दर से तथा मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 50 कि0 ग्रा0 चावल कुल एक क्विंटल खाद्यान्न देने का प्रावधान था। |
| (3) क्या यह बात सही है कि अभी तक 1 लाख 25 हजार परिवारों को राहत सामग्री मिल चुका है जबकि बाकी 85 हजार परिवारों को अभी तक वंचित रखा गया है? | राज्य आपदा रिस्पॉंस कोष के मानदंडों के आधार पर चिन्हित अति जरूरतमंद 65167 परिवारों को 250/-रु0 तथा एक क्विंटल खाद्यान्न प्रति परिवार को उपलब्ध करा दिया गया है। |
| (4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खण्ड-1 में वर्णित अनुमंडल के बचे 85 हजार परिवारों को कबतक बाढ़ राहत सामग्री मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों? | उपर्युक्त खण्ड-3 के अनुसार। |

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-04/वि0स0ता0प्र0-109/2012/...../आ0प्र0/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार, विधान सभा सचिवालय पटना को उनके पत्रांक 4582

दिनांक-24.07.2012 के क्रम में 03 (तीन) प्रतियों में/उप सचिव संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव

ज्ञापांक-04/वि0स0ता0प्र0-21/2012/...../आ0प्र0/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इस
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2827
29.8.12
अवर सचिव